	26.9.18 वकील उभयपक्ष हाजिर ... है। पत्रावली जाने पर/दीगर काय/अवकाश ... है। पत्रावली दि. 12-2-19 को पेश हो। वास्ते का0वा0
	SDO सा. की आज्ञा से
	12.2.2019 वकील उभयपक्ष हाजिर/एस0 डी0 ओ0 ... दौरे पर/दीगर काय/अवकाश पर है। पत्रावली दि. 28.5.19 को पेश हो। वास्ते का0वा0
	SDO सा. की आज्ञा से
28/5/19	वकील उभयपक्ष हाजिर एस0 डी0 ओ0 साहब ... पर/दीगर काय/अवकाश ... है। पत्रावली दि. 18/9 को पेश हो। वास्ते ...
	SDO सा. की आज्ञा से
6.9.2019 कालूराम माङीलाल मोहनलाल [signature] [signature] [signature] मोहन तुलसीराम	पत्रावली राजीनामा पेश होने से रिपोर्ट से तलब हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण हाजिर। हाजिर होकर राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत किया। राजीनामा की तस्दीक पक्षकार द्वारा की गई। पुन मामले का [illegible] किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 तक व 9, 10 की ओर से AD [illegible] ने [illegible] पेश किया व राजीनामा में [illegible] की। हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल में मामला इस प्रकार है कि

श्यामलाल

बनाम

मुकदमा नं. सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मौजा भूपालसागर मे स्थित आ०नं० 1556/1235 रकबा 2 बिघा 5 बिस्वा सम्वत 2015 की जमाबन्दी मे खाता संख्या 14/2 मे वादीगण के पिता गणेश पुत्र गोकल कुम्हार के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो कि गणेश की खातेदारी होकर तन्हा खातेदार थे। इस दौरान सेटलमेन्ट हुआ व गणेश फौत हो गये जिससे वादीगण जो कि गणेश के वारिस है का नाम सम्वत 2038-41 मे जमाबन्दी मे दर्ज हुआ। सेटलमेन्ट के दौरान अन्य भाई बन्धो प्रतिवादी संख्या 1व2 के पिता का नाम भी गलती से दर्ज रेकार्ड हो गया। बाद सेटलमेन्ट उक्त आराजियात का नवीन नम्बर 1963 रकबा 0.48 हे. बना जो खाता संख्या 151 पर सम्वत 2064-67 पर दर्ज होकर उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 3व4 के नाम पर दर्ज हो गयी। जिनका सेटलमेन्ट से पूर्व कोई नाम नही था। अतः प्रतिवादी संख्या 3,4 का नाम हटाकर वादीगण ने अपने नाम उक्त आराजियात पुनः दर्ज कराने बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 1व2 जिनके पिता का नाम	सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

गणेश के वारिसान के नाम के साथ सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज हो गया था, प्रतिवादी संख्या 3,4 जिनके नाम सेटलमेन्ट के बाद 1963 रकबा 0.48 हे. में दर्ज हुआ। व प्रतिवादी संख्या 9,10 जो कि गणेश के वारिसान है ने आ०न० 1963 रकबा 0.48 हे. वादीगण के नाम पर दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर ना करते हुये इस आशय का राजीनामा प्रस्तुत किया जिसकी प्रतिवादीगण की पहचान AD लक्ष्मी चन्द जाट ने की राजीनामा अब तस्दीक शुदा है। प्रतिवादी संख्या 11 प्रियेश कुमार व वादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने का इकरार प्रस्तुत भी कर रहे। अतः वाद वादीगण स्वीकार करते हुये अन्तिम डिक्री इस आशय की पारित की जाती है कि मौजा भूपालसागर प०ह० भूपालसागर तहसील भूपालसागर की आ०न० 1963 रकबा 0.48 हे. कालू, मोहन, माधु, श्यामु, भगवान लाल पिता गणेश कुम्हार निवासी भूपालसागर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुदा होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner